1836
3/1/2020
नि० ... जयपुर

राजस्थान सरकार

निदेशालय पशुपालन, राजस्थान, जयपुर

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

क्रमांक एफ.वी.08(09)प.पा./विस्तार/स/प.क./2019–20/1484 दिनांक19.12.2019

परिपत्र

हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रदेश में 14 जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2020 तक पशु कल्याण पखवाडा मनाया जायेगा। इस पखवाडे में जीव जन्तुओं के प्रति प्रेम व दया भाव जाग्रत करने की दृष्टि से विभागीय कार्मिक अपने कार्यो के साथ–साथ निम्न बिन्दुओं पर ध्यान देते हुए पखवाड़े को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे :–

1. संयुक्त निदेशक अपने अपने जिलों में प्रत्येक पशुचिकित्सा संस्था पर एक एक बांझ निवारण एवं पशु शल्य चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर अधिक से अधिक संख्या में पशुओं को लाभान्वित करेगें। शिविरों में पशु पालकों एवं गौशालाओं के पशुओं में कृमिनाशक औषधि पिलाना सुनिश्चित करवायें। शिविर आयोजन के अवसर पर पशु क्रूरता के सम्बन्ध में जन सामान्य को आवश्यक जानकारी भी उपलब्ध करायेंगें साथ ही पखवाडे के दौरान आयोजित शिविरों, लाभान्वित पशु पालकों व जीव जन्तु कल्याण से सम्बन्धित किये गये कार्यों की प्रगति से निदेशालय को अवगत करायेंगे।
2. संयुक्त निदेशक अपने अपने जिलों में पशुचिकित्सा अधिकारियों एवं पशुचिकित्सा कर्मचारियों की नोडल स्तर पर माह जनवरी के प्रथम सप्ताह में एक बैठक का आयोजन कर पशु क्रूरता निवारण अधिनियमों, अन्य अधिनियमों की जानकारी देने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें आवश्यक पाठ्य सामग्री प्रदान करना सुनिश्चित करेंगें। इसके अलावा प्रत्येक तहसील/पं.स. नोडल स्तर पर एक पशु कल्याण गोष्ठी का आयोजन किया जाकर व्यवहारिक रूप से पशु कल्याण पखवाड़ें का आयोजन किया जायें।
3. जिले की समस्त पशु चिकित्सा संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं, एवं गौशालाओं में चेतना शिविर एवं गोष्ठियां एवं पशु कल्याण जन जागृती रैली आयोजित करावें। नजदीकी शिक्षण संस्थाओं में जीव जन्तुओं के प्रति क्रूरता निवारण पर आधारित व्याख्यानों के माध्यम से जानकारी दी जावें तथा संम्बन्धित विषय पर चित्रकला एवं वाद विवाद प्रतियोगितायें भी आयोजित करने के प्रयास किये जायें।
4. जिले की सभी पशु चिकित्सा संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अपने क्षेत्र की गौशालाओं एवं पशुपालकों के पशु बाड़ो में जाकर ठण्ड से पीड़ित पशुओं को राहत देने हेतु सम्बन्धित गौशाला प्रबन्धन/पशु पालक से यथा योग्य उपाय करवायें। ग्राम में संचालित पशु खैलीयों की सफाई उपरान्त जन सहयोग से सफेदी करवा कर पुनः जल से भरवाना सुनिश्चित करवायें।
5. स्थानीय प्रचार–प्रसार माध्यमों से आम जनता तक इस पखवाड़े के सम्बन्ध में जानकारी दी जावें, साथ ही जिले में इस दौरान की गई गतिविधियों को भी समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करावें।
6. पशुओं के प्रति दया, करुणा एवं कल्याण हेतु जन साधारण में जागृति एवम् क्रूरता निवारण हेतु वातावरण निर्माण के उद्देश्य से शिक्षण संस्थाओं, पंचायत मुख्यालयों, गौशालाओं आदि में सभाओं एवं रैली का आयोजन सुनिश्चित करवायें।
7. क्षेत्र में जन सहयोग से निराश्रित पशुओं की देखभाल हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करवायें।

8. पशुओं को अधिक सर्दी/गर्मी की प्रतिकूलता से सुरक्षा करने के लिए जनसामान्य को जागृत किया जाना सुनिश्चित करवायें।
9. संयुक्त निदेशकों/उप निदेशक/नोडल अधिकारियों द्वारा गौशालाओं का निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जावे तथा उनके लिए साफ, स्वच्छ स्वास्थ्यवर्द्धक वातावरण का निर्माण, गौशालाओं में पशुओं के संवर्गवार उनकी उम्र के अनुसार पृथक पृथक आवास एवं खाने की व्यवस्था, रुग्ण एवं अपंग पशुओं को पृथक से आवास व्यवस्था करवायी जाये ताकि सभी पशुओं को समान रुप से उनकी आवश्यकतानुसार खाद्य सामग्री मिल सके एवं खाने एवं पानी पीने के दौरान आपसी लड़ाई में घायल न हो।

10. स्थानीय एवं अन्य जनप्रतिनिधि तथा प्रशासनिक अधिकारियों से सूचना मिलने पर मौके पर जाकर रोगी एवं घायल पशुओं को निःशुल्क चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवायी जाये।
11. लावारिश पशुओं, गौशालाओं एवं जन सामान्य के पशुओं को लाभान्वित करने हेतु बांझपन निवारण एवं चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जाये।
12. पतंगबाजी से घायल पक्षीयों को संरक्षण प्रदान करने हेतु मकर संक्रान्ती के दिवस प्रातः 7 बजे से सायं तक चिन्हित विभिन्न स्थानों पर शिविर आयोजित कर उनकी तत्काल चिकित्सा सुनिश्चित किया जाये।
13. पशुओं को गाड़ी में ज़ोत कर क्षमता से अधिक भार ढोने से रोकने का प्रयास किया जाये।
14. चायनिज मांझे के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाना एवं पक्षीयों को चोटिल होने से बचाने के लिए पतंगबाजी का समय प्रातः 10 बजे सायं 4 बजे तक निर्धारित कर सुबह–सायं पतंगबाजी पर प्रतिबन्ध लगा कर पालना सुनिश्चित किया जाये।
15. पशु परिवहन नियम 1978 के नियम 56 में उल्लेखित वाहन (ट्रक/टैम्पों) द्वारा पशु परिवहन दौरान निर्देशों की पालना न करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करवाना तथा पशुओं को वाहनों में अनियमित रूप से भर कर परिवहन करने पर भी कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित किया जाये।
16. धर्म के नाम पर पशुओं की बली को रोकने हेतु सम्बन्धित को समझा कर इस कृत्य को रोकने के प्रयास किया जाये।
17. पशु कल्याण पखवाडे के दौरान 26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस एवं 30 जनवरी 2020 को सर्वोदय दिवस/(महात्मा गांधी शहीद दिवस) के रूप में मनाया जावेगा। अतः इन दोनों दिवसों में समस्त राज्य में पशु पक्षियों का वध करना एवं मांस आदि की बिक्री पर अनिवार्य रूप से प्रतिबन्ध रहेगा, इस बात का स्थानीय समाचार पत्रों द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावें। पखवाड़े के सफल आयोजन हेतु जिला एंव ग्रामीण स्तर पर कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं तथा गैर सरकारी संस्थाओं का भी सहयोग लेने के प्रयास किये जावें। पशु कल्याण पखवाडे के दौरान किये गये समस्त कार्यो की विस्तृत प्रगति संलग्न प्रपत्र में जिला स्तर पर संकलित कर निदेशालय को 15 फरवरी तक आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

(डा. शैलेश शर्मा)
निदेशक

क्रमांक : एफ.वी.08(09)प.पा./विस्तार/स/प.क./2019–20/11485–1644 दिनांक : 19-12-20

राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :एफ. 7 (04) अकाद/आकाशि/विविध /2019/15
दिनांक : 13.01. 2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–
1 निजी सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
3. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
4. समस्त प्राचार्य, राजकीय/निजी महाविद्यालयों राजस्थान को पशु कल्याण पखवाडा मनाने हेतु पालनार्थ प्रेषित है।
5. प्रभारी अधिकारी ई मेल /वेबसाईट, आयुक्तालय कॉलज शिक्षा, प्राचार्यो को अपलोड करने हेतु।

संयुक्त निदेशक, (अकादमिक)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।